कार्यालयः जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0, प्रयागराज।

पत्रांक– /जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/आं0बा0 चयन/2025–26 दिनांक 20 नवम्बर 2025

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0–1/1092245/2025/3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक–17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद प्रयागराज के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय पर संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट https://www.upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का बाल विकास परियोजनावार संख्यात्मक विवरण निम्नवत है–

क0सं0	परियोजना का नाम	रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण			योग
		अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	
1	शहर–1	58	24	25	107
2	शहर–2	41	23	21	85
3	चाका	30	25	10	65
4	जसरा	42	22	19	83
5	शंकरगढ़	34	22	20	76
6	कौंधियारा	17	6	5	28
7	करछना	9	5	4	18
8	उरूवा	12	4	5	21
9	गाण्डा	13	6	2	21
10	मेजा	40	22	14	76
11	कोरांव	28	10	13	51
12	बहादुरपुर	34	15	12	61
13	सैदाबाद	22	14	9	45
14	हण्डिया	13	8	8	29
15	धनूपुर	21	7	11	39
16	प्रतापपुर	15	12	13	40
17	फूलपुर	24	9	10	43
18	बहरिया	26	11	9	46
19	मऊआइमा	14	7	7	28
20	सोरांव	24	13	8	45
21	होलागढ़	16	4	4	24
22	कौड़िहार	22	18	10	50
योग		**555**	**287**	**239**	**1081**

उपरोक्त पदों की ग्रामसभा/वार्डवार रिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड के कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालय व जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाईट https://www.upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश निम्नवत है:–

1. चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग उ0प्र0 के सं0–1/1092245/2025/3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक–17 सितम्बर 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।
2. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
3. रिक्त पदों (आंगनवाड़ी सहायिका) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी, जिसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता

परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

4. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्रामसभा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा। अन्य जनपद अथवा अन्य राज्य के निवासिनी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

5. आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ डेट 01 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के संवंध में हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

6. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेवसाइट https://www.upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होगे। ऑफलाईन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 11.12.2025 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।

8. विज्ञापित पदों की संख्या घट–वढ़ सकती है, जोकि उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगी।

9. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेवसाइट https://www.upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, प्रयागराज से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

10. क– आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर चयन हेतु निम्न वरीयता निर्धारित है:–

(i) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।

(ii) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीची रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।

(iii) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीवी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों मे) की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

ख–उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में हीः–

(i) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला।

(ii) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।

(iii) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

ग– उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संवंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।

घ– (i) विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।

(ii) तलाकशुदा एवं परित्यकता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।

(iii) आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निधारण किये जाने के संबंध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–22/2015/2023/26–2 –2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

(iv) निवास व जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

11. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, पोर्टल https://www.upanganwadibharti.in पर अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

12. नगरीय क्षेत्र में रिक्त पदों पर आवेदन करते समय तहसील द्वारा ऑनलाइन जारी निवास प्रमाण पत्र में सम्बन्धित वार्ड क्रमांक एवं वार्ड का नाम अंकित होना अपेक्षित है।

13. ऑगनवाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः अस्थायी एवं मानदेय पर आधारित है जिस पर उ०प्र० राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली लागू नहीं होगी तथा शासन के निर्देशानुसार कभी भी समाप्त किये जा सकते है।

14. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें, जिससे किसी प्रकार की त्रुटिजनित हानि से बचा जा सके।

15. ऑनलाइन आवेदन में वेबसाइट पर भरी गयी सूचनाएँ ही चयन के लिये प्रयोग की जायेंगी। कोई भी कागजात ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही भविष्य में चयन हेतु विचार किया जायेगा।

/

(दिनेश सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
प्रयागराज।

पृष्ठापन पत्र संख्या–सी-874-2 तद दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित यी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र० लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदया, प्रयागराज।
5. जिला विकास अधिकारी, प्रयागराज।
6. समस्त उपजिलाधिकारी, प्रयागराज।
7. जिला सूचना अधिकारी प्रयागराज को इस आशय से कि जनपद प्रयागराज के विभिन्न समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, प्रयागराज।
9. सम्पादक, दैनिक जागरण एवं अमर उजाला प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की विज्ञप्ति का प्रकाशन न्यूनतम शासकीय दर एवं न्यूनतम स्थान पर आगामी प्रकाशित होने वाले अंक प्रकाशित कर बिल 02 प्रतियों में भुगतान बाबत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. समस्त, बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद प्रयागराज को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति की एक प्रति उपजिलाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने के साथ ही अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
11. कलेक्ट्रेट नोटिस बोर्ड/विकास भवन नोटिस बोर्ड/जिला कार्यक्रम अधिकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
12. गार्ड फाइल।

20/11/2025

जिला कार्यक्रम अधिकारी
प्रयागराज।